

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

पारस नाथ राय

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2015 की सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 15772

21.09.2023

[माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह]

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता द्वारा कोई कपट या गलत प्रस्तुति न होने की स्थिति में वेतन निर्धारण की त्रुटि के कारण की गई अधिक वेतन/वेतन की वसूली विधिसंगत ठहराई जा सकती है?

हेडनोट्स

माननीय न्यायालय ने यह उपयुक्त और न्यायसंगत माना कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को गलत वेतन निर्धारण के कारण भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली करने से रोका जाए, और यदि कोई वसूली की गई हो, तो उसे याचिकाकर्ता को तत्काल वापस किया जाए। (पैरा - 4)

न्याय दृष्टान्त

राज्य बनाम रफीक मसीह, (2015) 4 एससीसी 334

सैयद अब्दुल कादिर बनाम बिहार राज्य, (2009) 3 एससीसी

साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) सप्ल. 1 एससीसी 80

साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) सप्ल. 1 एससीसी 18

श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ, (1994) 2 एससीसी 52

बी. गंगा राम बनाम क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, (1997) 6 एससीसी 139

पुरुषोत्तम लाल दास बनाम बिहार राज्य, (2006) 11 एससीसी 492

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम विजय बहादुर, (2000) 10 एससीसी 99

बी. जे. अक्कारा बनाम भारत सरकार, (2006) 11 एससीसी 7089

अधिनियमों की सूची

निर्णय में किसी विशिष्ट वैधानिक अधिनियम का उल्लेख नहीं किया गया है।

मुख्य शब्दों की सूची

वेतनमान पुनरीक्षण

अधिक वेतन की वसूली

कपट / मिथ्या प्रस्तुति

एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन)

वेतन निर्धारण

सरकारी सेवक

प्रत्यागामी वसूली

न्यायिक पुनरावलोकन

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

अधिक भुगतान

प्रकरण से उत्पन्न

बिहार राज्य जल संसाधन विभाग के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से संबंधित वेतनमान पुनरीक्षण और वसूली के विभागीय आदेशों को चुनौती।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री संजय कुमार चौबे, अधिवक्ता

उत्तरदाता की ओर से: श्री माधव प्रसाद यादव, सरकारी अधिवक्ता-23

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 15772

=====

पारस नाथ राय, पिता दिवंगत तोता राय , निवासी- महैचा गाँव , डाकधर
हथुआ, थाना हथुआ, जिला गोपालगंज

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान

5. अधीक्षण अभियंता, सारण नहर सर्कल, गंडक योजना, सिवान
6. कार्यकारी अभियंता, सारण नहर प्रमंडल गंडक योजना, भोरे, जिला गोपालगंज

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री संजया कुमार चौबे, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री माधव प्रसाद यादव, जीपी-23

=====

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक :-21-09-2023

1. वर्तमान रिट याचिका निम्नांकित राहतों की मांग हेतु दायर की गई है :-

“i) एक उपयुक्त रिट 'उत्प्रेषण' जारी करने हेतु, ताकि दिनांक 17.12.2003 का वह आदेश, जो याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका में अंकित है तथा उत्तरदाता संख्या 6 के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया है, को रद्द किया जा सके, जिसके द्वारा और जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को पत्र संख्या 1102 दिनांक 09.10.2002 के द्वारा दिनांक 01.01.1996 से स्वीकृत ₹4000-100-6000 वेतनमान को घटाकर ₹3050-75-3950-80-4590 कर दिया गया है तथा इसके साथ यह निर्देश भी दिया गया है कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली बारह किश्तों में की जाएगी।

ii) एक उपयुक्त रिट उत्प्रेषण जारी करने के लिए, ताकि पत्र संख्या 1794, दिनांक 22.12.2006 में निहित आदेश को रद्द किया जा सके, जिसके द्वारा और जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को प्रथम एसीपी दिनांक 09.08.1999 से ₹3200-85-4900 वेतनमान में तथा द्वितीय एसीपी दिनांक 09.08.1999 से ₹4000-100-6000 वेतनमान में प्रदान किया गया है, जो उत्तरदाता संख्या 6 के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया है।

iii) एक उपयुक्त रिट उत्प्रेषण जारी करने के लिए, ताकि दिनांक 14.07.2015 के पत्र संख्या 748 में निहित आदेश को रद्द किया जा सके, जो कि उत्तरदाता संख्या 5 के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा और जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता के संशोधित वेतनमान तथा प्रथम एसीपी और द्वितीय एसीपी के लाभों को उत्तरदाता संख्या 5, अधीक्षण अभियंता, सारण नहर सर्कल, गंडक योजना, सिवान द्वारा अस्वीकार किया गया है, जो कि अवैध एवं मनमाना है।

iv) एक उपयुक्त रिट मेंडेमस जारी करने के लिए, जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को 01.01.1996 से प्रभावी उपयुक्त संशोधित वेतनमान प्रदान करें, साथ ही प्रथम और द्वितीय एसीपी के लाभ उनके निर्धारित तिथियों से उपयुक्त वेतनमान में दें, तथा याचिकाकर्ता को देय संपूर्ण बकाया राशि की गणना कर विधिसम्मत ब्याज एवं दण्डात्मक ब्याज सहित भुगतान करें।

v) किसी भी अन्य परिणामी लाभ के लिए जो याचिकाकर्ता संशोधित वेतनमान और ए. सी. पी. के आधिकारिक पुष्टि के बाद हकदार है।

2. शुरुआत में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी गलत अभ्यावेदन/ प्रस्तुति नहीं हुई है,

जिसके कारण गलत वेतनमान प्रदान किया गया हो। अतः याचिकाकर्ता के वेतनमान के पुनः निर्धारण के आधार पर कोई भी वसूली नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता को प्रारंभ में 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमान रु. 4000-100-6000 प्रदान किया गया था, जिसे बाद में पत्र दिनांक 09.10.2002 एवं वित्त विभाग के पत्र दिनांक 31.07.2002 के माध्यम से संशोधित किया गया और परिणामस्वरूप वेतनमान को रु. 3050-75-3950-80-4590 पर पुनः निर्धारित किया गया।

3. उपरोक्त तथ्य पर उत्तरदाता -राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई ।

4. मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं इसे उचित और उपयुक्त मानता हूँ कि उत्तरदाताओं को यह निर्देश देता हूँ कि वे याचिकाकर्ता से ₹3050-75-3950-80-4590 के स्थान पर ₹4000-100-6000 वेतनमान के कारण गलत वेतन निर्धारण से की गई अतिरिक्त वेतन/वेतन की राशि की वसूली न करें। यदि इस प्रकार की कोई वसूली पहले ही की जा चुकी है, तो उसे तत्काल याचिकाकर्ता को वापस किया जाए।

5. इस चरण पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि वेतन की वसूली से संबंधित कानून अब अनिर्णीत विषय नहीं रहा है और यह विभिन्न निर्णयों की श्रृंखला में विधिवत रूप से स्थापित हो चुका है, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित निर्णय शामिल हैं: (2009) 3 एस सी सी - (सैयद अब्दुल कादिर बनाम बिहार राज्य); (1995) सपल. (1) एस सी सी 80 - (साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य); (1994) 2 एस सी सी 52 - (श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ); (1997) 6 एस सी सी 139 - (बी. गंगा राम बनाम क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक); (2006) 11 एस सी सी 492 - (पुरुषोत्तम लाल

दास बनाम बिहार राज्य); (2000) 10 एस सी सी 99 – (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम विजय बहादुर); (2006) 11 एस सी सी 7089 – (बी. जे. अक्करा बनाम भारत सरकार); (1995) सप्लिमेंट 1 एस.सी.सी. 18 (साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य) और एक अन्य निर्णय (2015) 4 एस.सी.सी. 334 (पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह) में भी है।

6. उपरोक्त शर्तों के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

कंचन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।